ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं

स्वामी अग्निवेश

अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ना, शोषण के ख़िलाफ़ लड़ना, विषमता के ख़िलाफ़ लड़ना, ढांचागत हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने को ही मैं सबसे बड़ा धर्म मानता हूं। धर्म क्या है? नदी में डुबकी लगाना धर्म नहीं है। घंटी बजाना कोई धर्म नहीं है और न ही आरती उतारना धर्म है। सीधे-सीधे आपकी आंखों के सामने जो वास्तविक हिंसा हो रही है उससे लड़ना ही धर्म है। जन्मना आधार पर, जाति के नाम पर जो ऊंच-नीच का भेदभाव हो रहा है, वो बहुत बड़ी हिंसा है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी हिंसा है। अगर आप हिंसा को परिभाषित करेंगे तो पता लगेगा कि हम हिंसक समाज में जी रहे हैं। प्रेम और अहिंसा की शक्ति के जरिए ऐसी हिंसा से जूझना सबसे बड़ा धर्म है।

1968 की बात है। हम दो सौ नौजवान कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर निकले और लालकिले से सामने नारा लगाया कि आर्य राष्ट्र बनाएंगे, पूंजीवाद मिटाएंगे। जब हम गांव-गांव से गुज़र रहे थे तो मां-बहनों ने कहा कि सबसे अधिक हिंसा शराब के ठेकों की वजह से है। ये शराब के ठेके कौन खुलवा

रहा है? सरकार खुलवा रही है। और जब हमने आंदोलन किया। नारे लगाये कि शराब की बोतल फोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, शराब के ठेके तोड़ दो - तो ठेका तोड़ने की जगह हमें विद्रोही बता कर बंशीलाल की सरकार ने जेल में डाल दिया। एक-दो बार नहीं आठ बार डाला। ये एक उदाहरण है और इससे पता चलता है कि राज्य का चेहरा बहुत ही भयंकर है। सारे उल्टे काम करेंगे और कसम देंगे संविधान की। संविधान की शुरुआत में लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया (हम भारत के लोग) अपने आप को एक समाजवादी गणतंत्र देते हैं। और उसी संविधान की आड़ में सत्ता में बैठे लोग उन तमाम लोगों को कुचलते हैं जो सही बात करते हैं।

मैंने जब बंधुआ मजदूरों का आंदोलन चलाया तो मुझे किस मुख्यमंत्री ने नक्सलवादी कहा? उस मुख्यमंत्री ने जिसकी कैबिनेट में मैं शिक्षा मंत्री था। आप सब उनका नाम जानते हैं। स्वनामधन्य भजनलाल! भजनलाल ने मुझे कमरे में बुला कर कहा कि फरीदाबाद में मौजूद खदानों की वजह से आप मेरे सरकार पर जो बॉन्डेड लेबर की तोहमत लगा रहे हैं वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अगली बार आपने खदानों में कदम रख दिया तो जिंदा नहीं बचोगे। मैंने कहा कि चौधरी साहब आप मुझे धमकी दे रहे हो? उन्होंने कहा धमकी नहीं दे रहा हूं, कर के दिखाऊंगा। ये यही कॉपरनिकस मार्ग पर मौजूद हरियाणा भवन की बात है। रात को नौ-साढ़े नौ बजे थे। मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकील मित्र मुखोटी को तुरंत फोन किया। उन्होंने कहा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ। मैं चार-पांच साथियों के साथ थाने पहुंचा। थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी। मुझे डेढ़-दो घंटे बिठाए रखा। चाय पिलाई और चुपके से भजनलाल को फोन कर दिया कि आपका विधायक आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा है। हम रात बारह बजे सुप्रीम कोर्ट के पास भगवान दास रोड से गुजर रहे थे। पीछे से एक ट्रक धड़धड़ाते हुए आया। हमें मार डालने का इरादा था। हम एक तरफ गिर गए। बच गए। जाकर सोए। सुबह सात बजे हरियाणा भवन के अपने कमरे से मैं बंगाली मार्केट में मौजूद जेएनयू के गोमती हॉस्टल पहुंचा। अपने साहित्यकार पत्रकार मित्र पंकज सिंह से मिलने के लिए। वहीं पर मुझे फोन आए कि स्वामी जी हरियाणा भवन में आपका कमरा सील हो गया है। सारे कागजात जब्त किये जा चुके हैं और आपको नक्सली घोषित कर दिया गया है।

मैं हैरान था। तुरंत अंडरग्राउंड हुआ। हैदराबाद गया। एंटीसिपेटरी बेल ली। तब मैं सामने आया। करीब आठ महीने मुकदमा चला। तब जाकर मेरा कपड़ा और सामान मुझे वापस मिलेगा। आखिर क्या थी वो चीजें? मैं एक पत्रिका निकालता था–संघर्ष जारी रहेगा। आह! संघर्ष जारी रहेगा–ये जरूर नक्सलाइट होगा। मेरे पास कुछ कैसेट थे। पेरिस गया था एक बार तो वहां से क्यूबन, रसियन रिव्योल्यूशन के गीतों, अमेरिकन सिविल लिबर्टी के गीत...चीली रिव्योल्यूशन के गीत...वो सारे कैसेट मैं ले आया था। ये सारे मिल गए उनको। बहुत बड़ा सुबूत मिल गया! और सबसे बड़ा मिला, वो ये कि नागभूषण पटनायक जेल में थे। ग्यारह साल से वो भी बिना मुकदमे के। ये बात हमारे मित्र आनंद स्वरूप वर्मा ने बताई। मैंने कहा कि कैसे चुप रह सकते हैं? फिर मैंने एक कमेटी बनाई। नागभूषण पटनायक रिलीज कैम्पेन कमेटी। कहा कि या तो मुकदमा चलाओ फांसी दो लेकिन बना मुकदमे किसी को एक दिन भी जेल में नहीं रख सकते। आंदोलन किया। जिसके बाद वो विशाखापट्टनम में दिल्ली के एम्स में लाए गए। मैं जाकर एम्स में मिला। कहा जा रहा था कि वो बहुत खतरनाक हैं। पता नहीं क्या है वो। मैं जाकर मिला तो बहुत अच्छा लगा। बड़ा पहरा था उनके चारों ओर। फिर हमने कोशिश की तो वो रिहा हुए। रिहा होकर वो सबसे पहले मेरे कमरे में आ कर रहे। सात जंतर-मंतर रोड। एक महीना वो मेरे साथ रहे। फिर जाकर वो इंडियन पीपुल्स फ्रंट के चेयरमैन बने।

मैं विनोद मिश्रा से मिला। सत्यनारायण सिन्हा से मिला। मुझे तो वो लोग अच्छे इंसान लगे। उनके गीत सुन कर उनकी बातें सुन कर मुझे जोश आ जाता था। मैं बंदूक

नहीं उठा सकता। लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने में मैं कभी पीछे नहीं रहता। अन्याय, शोषण, क्रूरता और विषमता के ख़िलाफ़ गुस्सा क्यों नहीं है समाज में। आप और हम मिल कर के अहिंसात्मक तरीके से समाज को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोई न कोई बंदूक उठा लेगा और समाज बदलने निकल पड़ेगा। हम चिल्लाएंगे माओवादी आ गए... माओवादी आ गए। आज कोई बंदूक उठा रहा है तो हम जैसे लोग सफेदपोश लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। हम बड़े बड़े होटलों में... कॉफी हाउसेज में बैठ कर क्रांति की बात करते हैं और फिर चुपचाप घर लौट जाते हैं। सबसे ख़तरनाक होता है यह। क्या लिखा था मेरे पंजाब के दोस्त ने (पाश का जिक्र) -

पुलिस की मार
सबसे ख़तरनाक नहीं होती,
पेट की भूख
सबसे ख़तरनाक नहीं होती,
सबसे ख़तरनाक होता है,
चुपचाप घर से निकलना,
और चुपचाप घर को लौट आना,
सबसे ख़तरनाक होता है,
सपनों का मर जाना।

हम सपना नहीं देखते। आज की तरुणाई सपना नहीं देखती। सब फिट होना चाह रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में। बोलियां लगती हैं इनकी। जैसे घोड़े, गधे, खच्चर नीलाम होते हैं वैसे हमारे नौजवान नीलाम हो रहे हैं।

मैंने समय ज्यादा ले लिया है लेकिन अब मैं बहस को मोड़ पर लाना चाहता हूं। सीधे सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी से। ये चिट्ठी लिखी मुझे चिदंबरम ने। जब हम पांच मई से दस मई तक छत्तीसगढ़ दौरे पर गए थे। बनवारी लाल शर्मा, प्रोफेसर यशपाल, नारायण भाई देसाई, रामजी सिंह, राधा बेन भट्ट। हम 50 लोग मिल करके रायपुर से दंतेवाड़ा गए। सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या के एक महीने बाद। मैंने खुद उस हत्याकांड की निंदा की। मेरे पास एनडीटीवी वाले आए - कहा आप निंदा कर रहे हैं? मैंने कहा कि हां जोर से निंदा कर रहा हूं। खासकर के मैं विभूति जी को बताना चाह रहा हूं। ये मान लिया जाता है कि मानवाधिकारों की बात करने वाले सभी चुप रह जाते हैं। नहीं। ये ग़लत है। मैं भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हूं। मैंने माओवादी हिंसा की निंदा की है। फिर हमने कहा कि रास्तेभर निंदा करते जाएंगे। रायपुर से दंतेवाड़ा के सीआरपीएफ कैंप तक गए। लेकिन हमने तय किया कि निंदा सिर्फ माओवादी हिंसा की नहीं करेंगे। उतनी ही जोरदार तरीके से ऑपरेशन ग्रीन हंट की भी निंदा करेंगे और हमने किया।

इस बीच एक बड़ी मजेदार बात हुई। रायपुर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नज़ारा बता दूं। हमें रायपुर और दंतेवाड़ा में लगा कि हम पत्रकारों से बात नहीं कर रहे बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के दलालों से बात कर रहे हैं। खरीदे हुए लोग। मुख्यमंत्री के समझाए हुए लोग। सब के सब बिके हुए लगे। फिर भी हमने किसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाद में रमेश नैयर जी ने बताया कि स्वामी जी यहां पत्रकारिता का बहुत बुरा हाल है। लेकिन फिर भी आपलोग आ गए हैं तो आगे बढ़िए।

हमने टाउन हाल में मीटिंग की। नारायण भाई देसाई अध्यक्षता कर रहे थे। प्रोफेसर यशपाल बोल रहे थे। तभी भाड़े के गुंडे पहुंच गए। हाथों में तख्तियां लिए हुए। नारे लगाते हुए। एसएसपी और पुलिसवाले उन गुंडों को लेकर पहुंचे थे। वो नारे लगा रहा थे--नक्सलियों के दलालों को, जूता मारो सालों को। हम नक्सली के दलाल हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि हम कह रहे थे कि हिंसा बंद करो, बातचीत करो। गोली नहीं, बोली से हल निकालो। वो लोग कहते हैं कि बातचीत क्यों करें? माओवादियों का इलाज होना चाहिए। जैसे लिट्टे को कत्ल कर दिया, उन्हें भी कत्ल कर दिया जाना चाहिए। हमारे ख़िलाफ़ गंदे नारे लगाए गए। कार और बस की हवा निकाल दी गई। बहुत परेशन किया। सबकुछ

सरकार के संरक्षण में हो रहा था। बड़ी मुश्किल से लौट कर आए।

10 मई को लौटे तो चिदंबरम जी का ये पत्र मिला। उन्होंने लिखा कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपको अधिकृत करता हूं। माओवादियों से बात कराइए। हम तैयार हैं। मैं उनसे मिला। मैंने कहा क्या क्या बात करनी है। उन्होंने कहा कि सबकुछ। जितने भी एमओयू हमने साइन किए हैं सिक्रेट या फिर ओपन। सबकुछ टेबल पर रखने को तैयार हैं। माओवादियों से प्रतिबंध हटाने पर भी बातचीत करने को तैयार हैं। आप उन्हें बुलाइए तो सही। बात के लिए मनाइए तो सही। अब सीलबंद सरकारी लिफाफा देख कर और उस चिट्ठी को पढ़ कर बड़ी खुशी हुई। लगा कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन उस चिट्ठी में एक शर्त भी शामिल थी। ऊपर लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल। भीतर भी लिखा था - आई वुड एप्रिसियेट इफ यू काइंडली कीप द कंटेंट ऑफ दिस लेटर कॉन्फिडेंशियल। मतलब मैं इसे किसी को दिखा नहीं सकता था। फिर भी मैंने अपने कुछ मित्रों से संपर्क साधा जो माओवादियों के संपर्क में थे। उनको चिट्ठी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार बकवास करती है। हमें कोई भरोसा नहीं है। मैं बोला बात करने के लिए तैयार हो जाओ यार। आओ और बताओ कि कितना शोषण हो रहा है। कितना अन्याय हो रहा है। और हम जैसे लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हें आने में क्या दिक्कत है? वो बोले इनका कोई भरोसा नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी यही किया था। बुलाया और सबको मार दिया।

इसी बीच 17 मई की रात पी चिदंबरम को देखा। सीएनएन-आईबीएन पर राजदीप को इंटरव्यू देते हुए। चिदंबरम साहब ने कहा कि आई हैव रिटेन अ लेटर टू स्वामी अग्निवेश और उस लेटर को पढ़ कर सुना दिया। आई हैव मेड दिस ऑफर... कहते हुए खुद को शांति का मसीहा बताने की कोशिश की। अब जब उन्होंने खुद ही सब कुछ पब्लिक कर दिया तो मैंने उन्हें फोन किया। कहा महाराज आप तो मुझसे कह रहे थे कि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना है और खुद ही सब कुछ पब्लिक कर रहे हैं। वो बोले आप भी बताओ। सबको बताओ। इतना कहना था कि मैं उस चिट्ठी को ले उड़ा। सौ से ज्यादा फोटोकॉपी कराई। नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे कहा छापो। माओवादी मित्रों से भी कहा कि इसमें गुंजाइश है। आपको अपनी बात रखनी चाहिए। पूरा देश सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि आप किस लिए और किनके लिए लड़ रहे हो। वैसे भी आप जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हो वो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। गरीबों, शोषितों के मुद्दे हैं। हो सकता है कि आपकी बात सुन कर लोग आपके समर्थन में उठ खड़े हों। आपको प्रचंड समर्थन मिले। हथियार के बल पर आप कब तक लड़ोगे?

मेरी बात उनकी समझ में आई। दस दिन बाद मुझे उनकी तरफ से चिट्ठी मिली। सीपीआई (माओवादी) की तरफ से दस्तख़त चेरुकरी राजकुमार यानी आज़ाद ने किए थे। उन्होंने मुझे संबोधित करके वो चिट्ठी लिखी थी और उसे पढ़ कर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चिदंबरम जी के पास पहुंचा। मैंने आज़ाद की चिट्ठी दिखाई और कहा कि ब्रेकथ्रू है। उन्होंने कहा कोई ब्रेकथ्रू नहीं है। चिट्ठी में सीजफायर की तारीख की घोषणा नहीं है। मैंने कहा कि वो कहते हैं कि सीजफायर दोनों तरफ से होगा। भारत सरकार भी करे और वो भी करेंगे। चिदंबरम ने कहा नहीं। उन्होंने शर्त लगाई कि माओवादी एक तारीख तय करें। 72 घंटे का सीजफायर करें और फिर हम बैठ कर सीजफायर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लेंगे।

फिर मैंने माओवादियों से बात की। उनको समझाया कि एक तारीख तय कर दो। जिद मत करो। उन्होंने कहा कि सरकार के कहने पर कोई डेट नहीं देंगे। लेकिन आप पर भरोसा है। आप ही अपनी तरफ से कोई तारीख तय कर दीजिए। हम उसे मान लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर 26 जून को मैंने एक खत लिखा। उसमें तीन तारीखें दीं। 10, 15 और 20 जुलाई। कहा कि इनमें से किसी एक पर मुहर लगा दो। वह खत आज़ाद को भेज कर मैं एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने

के लिए आस्ट्रेलिया चला गया। इस उम्मीद में कि लौटने से पहले उनका जवाब आ जाएगा। लेकिन जवाब नहीं आया। आज़ाद के मारे जाने की ख़बर आई। आज़ाद मुठभेड़ में मारे गए। कहां मारे गए - अदिलाबाद के जंगलों में मारे गए। अदिलाबाद के जंगल में वो क्या करने गया था? बोले, देखो डेडबॉडी पड़ी है। एके-47 भी है। बगल में एक और डेडबॉडी है। कौन था वो, पता नहीं?

बाद में बताया गया कि वो दिल्ली का एक पत्रकार था। हेमचंद्र पांडे जो नई दुनिया, राष्ट्रीय सहारा और जागरण में लिखता था। चेतना नाम की पत्रिका में विधिवत काम करता था और आज़ाद का इंटरव्यू करने के लिए गया था। दिल्ली में उसकी पत्नी बबिता पांडे पढ़ाती है। फिर हेमचंद्र पांडे का शव दिल्ली लाने की बात हुई। कहां रखा जाएगा यह सवाल उठा। ऐसे ही वक़्त में लोगों की पहचान होती है। बहुत से लोगों से बात हुई। सबने किसी न किसी कारण से शव रखने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरे यहां रखो। फिर मेरे पास फोन आया–

- मैं होम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूं।

- कौन बोल रहे हैं?

- ज्वाइंट सेक्रेटरी बोल रहा हूं।

- कौन हैं आप? क्या बात है?

- हमें पता लगा है कि आप हेमचंद्र पांडे का शव अपने यहां रखने जा रहे हैं?

- हां जी रखने जा रहे हैं।

- हम आपको सलाह दे रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप चक्कर में पड़ जाएंगे।

- मैंने कहा कि चक्कर में पड़ जाएंगे तो पड़ जाएंगे। लेकिन उसका शव मेरे घर पर ही रखा जाएगा और आप उसे छू नहीं सकते।

अगले दिन डेढ़-दो सौ पत्रकार जमा हुए। उन्होंने विरोध सभा की और फिर हेमचंद्र पांडे का अंतिम संस्कार हुआ।

एक शव के साथ ऐसा बर्ताव। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि भेड़-बकरी की तरह टांग कर ले जा रहे थे महिलाओं को। ये है हमारी राज्यसत्ता का वीभत्स चेहरा। माओवादियों को तो आपने कानूनी प्रतिबंध लगा कर बाहर कर रखा है, लेकिन आप तो नैतिकता, संविधान और कानून के दायरे में बंधे हैं। आप ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। कौन पूछेगा इनसे?

मैं यहां आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आज़ाद के साथ हेमचंद्र पांडे का मारा जाना सारी चीज़ को संदिग्ध बनाता है। मैं इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूं। आज इस प्रेमचंद जयंती के मौके पर आप सभी मेरी इस मांग का समर्थन करिए कि हेमचंद्र पांडे हत्याकांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोई भी सरकार कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। अगर हेमचंद्र पांडे को मुठभेड़ में मारा गया तो सरकार बताए कि ये मुठभेड़ कैसे हुई?

मैंने चिदंबरम से जब इसकी मांग की तो सीधे मना कर दिया। कहा कि नो। आप आंध्र प्रदेश में जाकर मांग कीजिए। मैंने उनसे कहा कि आपने बीच में मुझे डाला था। और वो आपकी शर्तों पर बात करने को तैयार हो गए थे इस बीच आज़ाद को मार दिया। क्या आपको चिंता नहीं है किसी बात की? आपका कंसर्न नहीं है? कहा नो आईएम नॉट कन्सर्न्ड। मैंने कहा कि आपने बीच में मुझे फंसा दिया है। मैं नैतिक रूप से अपने को जिम्मेदार मान रहा हूं। मेरे दिल पर बड़ा अपराधबोध है। मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से आज़ाद ने अपनी सुरक्षा में कोताही कर दी हो और मारा गया हो। मुझे राज्य का चेहरा बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। आप शांतिवार्ता के लिए किसी को बुलाते हैं नजदीक लाते हैं और फिर उसको पकड़ कर इस तरह से मार डालते हैं और फिर जांच से इनकार करते हैं। यह बहुत बड़ा विश्वासघात है।

आखिर में मैं एक भजन सुनाता हूं–

एक तन पर सोने की तार का चेन

एक तन पर सूत का तार नहीं
इसलिए बगावत करते हैं
ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं
पूरे एकड़ में बनी हवेली,
रहने वाले दो प्राणी
दूसरी तरफ दस हाथ का घर
दस रहते हैं
सो सकते पैर पसार नहीं
इसलिए बगावत करते हैं
ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं
जिसने हल देखी नहीं
वो हक़दार हजारों बीघे का
और हल के संग हस्ती मिटा रहा
एक बीघे का हकदार नहीं
इसलिए बगावत करते हैं
ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं

('हंस' के रजत जयंती वर्ष पर (31 जुलाई, 2010) हुई गोष्ठी का वक्तव्य।)